

मध्य प्रदेश शासन
आयुष विभाग,
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

// आदेश //


भोपाल, दिनांक 07/08/2018

क्रमांक एफ 02-04/2018/1/59, :: डॉ० आलोक भारती, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, शासकीय आयुर्वेद औषधालय, पिपरिया, जिला बालाघाट की नियुक्ति लोक सेवा आयोग से चयन उपरांत विभागीय आदेश दिनांक 25.04.2016 द्वारा दो वर्ष की परिवीक्षा पर की गई। नियुक्ति आदेश की शर्त क्रमांक 14 अनुसार सभी नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों हहको शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, रीवा, जबलपुर में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही परिवीक्षा अवधि समाप्त की जावेगी।

2/- डॉ० आलोक भारती, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, शासकीय आयुर्वेद औषधालय, पिपरिया, जिला बालाघाट द्वारा प्रशिक्षण उपरांत सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किये जाने पर उनकी परिवीक्षा अवधि एक वर्ष बढ़ाये जाने हेतु विभागीय ज्ञाप क्रमांक 957/1127/2018/1/59, दिनांक 03.04.2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। उनसे प्राप्त प्रतिवाद उत्तर में भी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण नहीं किया जाना मान्य किया गया। इस स्थिति में डॉ० आलोक भारती, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, शासकीय आयुर्वेद औषधालय, पिपरिया, जिला बालाघाट की परिवीक्षा अवधि एक वर्ष बढ़ाई जाने का प्रशासकीय निर्णय लिया गया।

3/- अतः राज्य शासन एतद्वारा डॉ० आलोक भारती, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, शासकीय आयुर्वेद औषधालय, पिपरिया, जिला बालाघाट की परिवीक्षा अवधि में एक वर्ष की वृद्धि करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(डॉ.एस०एस०कुमरे)
उप सचिव

14 मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग

निरन्तर--2//

पृ.कमांक एफ 02-04/2018/1/59

भोपाल दिनांक 07/08/2018

प्रतिलिपि:-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, आयुष विभाग भोपाल।
 - 2- निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, आयुष विभाग भोपाल।
 - 3- आयुक्त, आयुष संचालनालय भोपाल।
 - 4- संभागीय आयुष अधिकारी, जबलपुर संभाग।
 - 5- जिला आयुष अधिकारी, जिला बालाघाट। कृपया आदेश की एक प्रति संबंधित को तामील कराने हेतु।
 - 6- उप संचालक, संचालनालय, आयुष भोपाल की ओर उक्त आदेश वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु एवं आदेश की प्रति संबंधित की सेवापुस्तिका/गोपनीय प्रतिवेदन फोल्डर में संलग्न करने हेतु।
 - 7- डॉ० आलोक भारती, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, शासकीय आयुर्वेद औषधालय, पिपरिया, जिला बालाघाट।
 - 8- स्थापना लिपिक/आर्डर फोल्डर।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग

मध्य प्रदेश शासन
आयुष विभाग,
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

// आदेश //


भोपाल, दिनांक 06/08/2018

क्रमांक एफ 02-04/2018/1/59, :: डॉ० कन्हैया धुर्वे, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, शासकीय आयुर्वेद औषधालय, डिठौरी, जिला मण्डला की नियुक्ति लोक सेवा आयोग से चयन उपरांत विभागीय आदेश दिनांक 25.04.2016 द्वारा दो वर्ष की परिवीक्षा पर की गई। नियुक्ति आदेश की शर्त क्रमांक 14 अनुसार सभी नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों हहको शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, रीवा, जबलपुर में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही परिवीक्षा अवधि समाप्त की जावेगी।

2/- डॉ० कन्हैया धुर्वे, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, शासकीय आयुर्वेद औषधालय, डिठौरी, जिला मण्डला द्वारा प्रशिक्षण उपरांत सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किये जाने पर उनकी परिवीक्षा अवधि एक वर्ष बढ़ाये जाने हेतु विभागीय ज्ञाप क्रमांक 957/1127/2018/1/59, दिनांक 03.04.2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। उनसे प्राप्त प्रतिवाद उत्तर में भी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण नहीं किया जाना मान्य किया गया। इस स्थिति में डॉ० कन्हैया धुर्वे, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, शासकीय आयुर्वेद औषधालय, डिठौरी, जिला मण्डला की परिवीक्षा अवधि एक वर्ष बढ़ाई जाने का प्रशासकीय निर्णय लिया गया।

3/- अतः राज्य शासन एतद्वारा डॉ० कन्हैया धुर्वे, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, शासकीय आयुर्वेद औषधालय, डिठौरी, जिला मण्डला की परिवीक्षा अवधि में एक वर्ष की वृद्धि करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(डॉ.एस०एस०कुमरे)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग

निरन्तर--2//

// 2 //

पृ.क्रमांक एफ 02-04/2018/1/59

भोपाल दिनांक 06/08/2018

प्रतिलिपि:-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, आयुष विभाग भोपाल।
 - 2- निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, आयुष विभाग भोपाल।
 - 3- आयुक्त, आयुष संचालनालय भोपाल।
 - 4- संभागीय आयुष अधिकारी, जबलपुर संभाग।
 - 5- जिला आयुष अधिकारी, जिला मण्डला । कृपया आदेश की एक प्रति संबंधित को तामील कराने हेतु ।
 - 6- उप संचालक, संचालनालय, आयुष भोपाल की ओर उक्त आदेश वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु एवं आदेश की प्रति संबंधित की सेवापुस्तिका/गोपनीय प्रतिवेदन फोल्डर में संलग्न करने हेतु।
 - 7- डॉ० कन्हैया धुर्वे, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, शासकीय आयुर्वेद औषधालय, डिठौरी, जिला मण्डला ।
 - 8- स्थापना लिपिक/आर्डर फोल्डर।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग